

2. वादी संख्या 3 चुनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुढा रोहिली के खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 48 बीघा में से 24 बीघा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 क्रमश मंगलाराम, प्रेमराम एवं बाजुदे के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा।

वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल



निर्णय आज दिनांक 17-7-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल